



# जिल्हा परिषद रत्नागिरी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन.

माळनाका रत्नागिरी ४१५६१२

## सामान्य प्रशासन विभाग



दूरध्वनी क्र.: ०२३५२/२२२४२८

ईमेल आय डी -: dyceogad08@gmail.com

जा.क्र. रजिप/साप्रवि/लेखा-२/वैद्यकीय देयक/ ८९६ /२०२३

दिनांक :- २३/०३/२०२३

- वाचा- १. महा. शास.सार्व. आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/प्रक्र- १/आरोग्य-३, दि.१९ मार्च,२००५.  
 २. महा. शास.सार्व आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०११/प्रक्र-३३३/११/राकावि-२, दि.१६ नोव्हें. ११.  
 ३. महा. शास.सार्व आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०१६/प्रक्र- १६/२०१६/राकावि-२,दि.१६ मार्च १६  
 ४. सामान्य प्रशासन विभागाकडील अधिकार प्रदान मंजूर टिप्पणी दिनांक २४.०२.२०२३.  
 ५. महा. शासन,ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वैप्रवि-६२१८/प्र.क्र.१३४/आस्था- ७/दि. २४ मे १८.  
 ६. महा. शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि-२, दिनांक १९ जुलै २२.  
 ७. महा. शासन, सार्व. आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावी-२/, दि.१७ जानेवारी २०२३.


### आदेश

उपरोक्त संदर्भाय पत्र क्रमांक ४ अन्वये मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी केलेल्या अधिकार प्रदानानुसार कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग चिपळूण, जि.प.रत्नागिरी या शाखेतील श्री/श्रीमती दिप्ती महेश नागवेकर पदनाम वरिष्ठ सहाय्यक यांचे सासरे वर/नातेवाईक श्री.गजानन शंकर नागवेकर आजारपणावर यांच्यावर शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक एमएजी-२००५/९/प्रक्र-१/आरोग्य-३,दिनांक १९.३.२००५ मध्ये नमूद केलेल्या आजार हा परिशिष्ट अ मधील अ.क्र. ०१ या आजारसंबंधी डॉ.संजय लोटलीकर, लोटलीकर हॉस्पिटल रत्नागिरी या शासकीय / शासन मान्य/ खाजगी रुग्णालयात बाह्य/आंतररुग्ण म्हणून दि. १५.०८.२०२२ ते दि. २०.०८.२०२२ पर्यंत करण्यात आलेल्या उपचारावरील झालेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस खालील तपशिलाप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तपशील  | एकूण खर्च      |                                |           |
|--------|--|----------------|--------------------------------|-----------|
| (१)    | (२)  | (३)            |                                |           |
| १.     | एकूण खर्च  | ५७१४४/-        |                                |           |
| २.     | ना- देय खर्च - डिसकाउंट वजावट  | ३७३८/-         |                                |           |
| ३.     | प्रत्यक्ष खर्च (१-२)   | ५३४०६/-        |                                |           |
| ४.     | प्रत्यक्ष खर्चापैकी वास्तव्याचा खर्च (Bed Charges)   | ९५००/-         |                                |           |
| ५.     | प्रत्यक्ष खर्चापैकी औषधोपचाराचा खर्च (३-४)   | ४३९०६/-        |                                |           |
| ६.     | औषधोपचारासाठी अनुज्ञेय खर्चाचे प्रमाणइ.(औषधोपचारावरील प्रत्यक्ष खर्चापैकी प्रतिपूर्तीचे प्रमाण ९०% ) (शासनमान्य रुग्णालयातील औषधोपचाराच्या खर्चाची १००% प्रतिपूर्ती) | ३९५१५/-        |                                |           |
| ७.     | रुग्णालयात वास्तव्याचे दिवस  | ५              |                                |           |
| ८.     | वास्तव्यासाठी केलेला खर्च  | ९५००/-         |                                |           |
| ९.     | रुग्णालयातील वास्तव्यासाठी अनुज्ञेय खर्चाचे प्रमाण -   | ९५%,१००%       |                                |           |
| अ.क्र. | वास्तव्याचा प्रकार   | प्रत्यक्ष खर्च | अनुज्ञेय रक्कम                 | देय रक्कम |
| अ)     | जनरल वॉर्ड (सर्वसामान्य कक्ष)  | २०००/-         | ९५%                            | १९००/-    |
| ब)     | जनरल वॉर्डच्या (सर्वसामान्य कक्षाच्या) बाजूचा बाथरूम नसलेला कक्ष   |                | ९०%                            |           |
| ग)     | बाथरूमसह स्वतंत्र कक्ष   |                | ७५%                            | -         |
| घ)     | बाथरूमसह डबलबेड कक्ष   |                | ७५%                            | -         |
| च)     | बाथरूमसह वातानुकूलित कक्ष (विमान प्रवास सवलत अनुज्ञेय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी)  |                | ७५%                            | -         |
| द)     | अतिदक्षता कक्ष   | ७५००/-         | १००%                           | ७५००/-    |
|        |  |                | वास्तव्यापोटी एकूण देय रक्कम = | ९४००/-    |
| १०.    | एकूण देय खर्च (६ + ९)  |                |                                | ४८९१५/-   |

उपरोक्त खर्च रक्कम रुपये ४८,९१५/- (अक्षरी रक्कम रु.अठ्ठेचाळीस हजार नऊशे पंधरा मात्र) तसेच सदर कर्मचा-याचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्च पडते त्या लेखाशिर्षाखाली खर्चा टाकण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च हा सन २०२२/२०२३ या वित्तीय वर्षातील तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

सदरचा आदेश रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या <https://www.zpratnagiri.org> या संकेस्थळावर उपलब्ध करणेत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२३९०५० असा आहे.

  
(परीक्षित यादव)

उप मुख्य कार्यकारी-अधिकारी साप्रवि)  
जिल्हा परिषद रत्नागिरी

प्रत:- १) श्रीम.दिप्ती महेश नागवेकर, वरिष्ठ सहाय्यक यांना कार्यालयामार्फत.

पत:- २) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग चिपळूण यांजकडे पदवील कार्यवाहीसाठी सादर